हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 20

बुधवार, 4 अप्रैल, 2018/14 चैत्र, 1940(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. <u>प्रश्नोत्तर</u>

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 113 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिये गए।

(कांग्रेस दल के सदस्यों ने मुख्य मंत्री के उत्तर पर असहमति प्रकट करते हुए अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी की।)

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी प्रतिउत्तर में अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी की।)

तारांकित प्रश्न संख्याः 461 से 466 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 467 से 498 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(11.57 **बजे पूर्वाह्न उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**)

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 4 व 5 के अन्तर्गत प्रारूप-1, नियम 6 के अन्तर्गत प्रारूप 2 व 3 तथा नियम 6(1) के अन्तर्गत प्रारूप -4 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप संगठन) हस्त सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-11/2002 दिनांक 20.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2018 को प्रकाशित हुए, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, उप-मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-ए (3)-5/2005 पार्ट-I दिनांक 13.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग, परिचर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017

जोकि अधिसूचना संख्याःटी.बी.डी.(बी)1-1/99-लूज़ दिनांक 07.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित।

3. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान** ने नियम-62 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा कीः-

"To call the attention of the Chief Minister to the situation arising out of Closing of Kho dri Majri Killair Road at Kullan bridge on Himachal side by power department of Uttrakhand government thereby causing hardship to the people of Himachal without the approval of H.P. Government in District Sirmaur".

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

(2) **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु** ने नियम-62 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा कीः-

"दिनांक 19 फरवरी, 2018 को अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक 'स्कूली बच्चों से जातीय भेदभाव के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश' से उत्पन्न स्थिति।"

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गए।

माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण के उत्तर दिए गए।

(3) **श्री रमेश चंद ध्वाला** ने नियम-62 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा कीः-

"दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को पंजाब केसरी में प्रकाशित शीर्षक 'सराय में चल रहा ज्वालामुखी अस्पताल' से उत्पन्न स्थिति।"

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रमेश ध्वाला द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

(12.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 02.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(4) **श्री राकेश पठानिया** ने नियम-62 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किया एवं चर्चा कीः-

"To call the attention of the Health & Family Welfare Minister to the situation arising out of precarious condition of Dr. Rajinder Prasad Medical College, Tanda"

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश पठानिया द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए माननीय सदन को आश्वस्त किया कि "स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जो भी बैस्ट पौसिबल हो पायेगा और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों का ठीक इलाज हो पाएगा, सरकार उस बात को सुनिश्चित करेगी।……….यहां पर जिन बातों का जिक्र किया गया है उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, इस इस बारे में विभाग को आदेश देंगे।"

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा -

"अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर मामला विधान सभा के संचालन और इसके नियमों से जुड़ा हुआ है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि विधान सभा के जो नियम बने हुए हैं या जो स्पीकर की डायरैक्शन्ज लिखित में हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो बजट स्पीच थी, उस दिन उस स्पीच को फेसबुक के ऊपर पूरे तीन घंटे लाइव चलाया गया जिसकी शायद आपने अनुमति नहीं दी है। यदि आपने अनुमति दी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको सभा पटल पर रखा जाए। यह एक गंभीर मामला है जबकि नियम यह है कि यहां से कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। यह किस तरह से सम्भव हुआ कि इस हाउस की प्रोसिडिंग्ज को फेसबुक पर पूरे तीन घंटे लाइव चलाया गया। यहां से जो बाहर प्रोसिडिंग्ज गई है वह चोरी का मामला बनता है और जिसने भी यह किया है उसके खिलाफ चोरी के साथ में इस हाऊस की कन्टैम्प्ट का मामला भी बनता है। इस गंभीर विषय के ऊपर मैं आपका निर्णय चाहता हूं। मैंने एक और प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठाया था जिसका आपने निर्णय नहीं दिया है कि इस सभा के परिसर के अंदर झंडे, ढोल-बाजे लेकर आना, नारेबाजी या भाषणबाजी करना इत्यादि सारे-का-सार आपके नियमों में दिया हुआ है कि नहीं किया जा सकता और उसके लिए भी अधिकारी नियुक्त है। जिन अधिकारियों ने यहां पर नियमों की उल्लंघना की है क्या मुझे उनके खिलाफ प्रिविलेज का केस लाना पड़ेगा?"

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दीः-

"माननीय सदस्य ने यहां जो विषय लाया है उसमें पहले विषय के बारे में भी आपको बता दिया जायेगा और दूसरे के बारे में भी अवगत करवा दिया जायेगा।"

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री मुकेश अग्निहोत्री, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

5. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकर।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकर।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री ने** प्रस्ताव किया की "हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकर।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4)" पर विचार किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने विधेयक के खण्ड 9 पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया।

श्री राम लाल ठाकुर, तथा जगत सिंह नेगी, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकार हुआ।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 और 12 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

(ii) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3) पारित हुआ।

(iii) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

श्री राकेश पठानिया, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा मुकेश अग्निहोत्री, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय उद्योग मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्यांक 5)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सर्व श्री नरेन्द्र ठाकुर,सुख राम तथा अरूण कुमार की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

7. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

(1) **श्री जवाहर ठाकुर** ने दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर सदन में चर्चा की।

माननीय उद्योग मंत्री ने उत्तर दिया।

(**04.25 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।**)

(2) **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर** ने दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर सदन में चर्चा की।

माननीय वन मंत्री ने उत्तर दिया।

<u>उपाध्यक्ष द्वारा सूचना</u>

मुझे आपको सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आज सायं 08.00 बजे पीटरहॉफ में सभी माननीय सदस्यों को रात्रि भोज में सपत्नी/सपति सादर आमन्त्रित किया है।

(**सदन की बैठक 5.09 बजे सायं वीरवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।**)